

प्रेषक,

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

सेवा में,

निदेशक,
प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूरखेडा देहरादून।
देहरादून।

पत्रांक/प्रा०शि०/सूची/ 5363

/2026-27

दिनांक 27 अगस्त 2026

विषय: वार्षिक स्थानान्तरण 2026-27 हेतु जनपद के रा०प्रा०वि०/रा०उ०प्रा०वि० में कार्यरत शिक्षकों के स्थानान्तरण आदेश सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेडा देहरादून पत्रांक/सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10.07.2026 के अनुपालन में जनपद के अन्तर्गत वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2026-27 जनपद के रा०प्रा०वि०/रा०उ०प्रा०वि० में कार्यरत शिक्षकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के सापेक्ष निर्गत स्थानान्तरण आदेश सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु आपकी सेवा में सादर प्रेषित है। कृपया विभागीय वेबसाइट में अपलोड करवाने का कष्ट करेंगे।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

 27.8.26

(पुष्कर लाल टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)
नैनीताल।

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 236 / अ०स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) सहायक अध्यापक रा०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	सुनील उपाध्याय	स०अ०	रा०प्रा०वि० सूखा, बेटालघाट, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० दूंगशिल, भीमताल नैनीताल।
2	दीपक नौगाई	स०अ०	रा०प्रा०वि० बोंसा, भीमताल, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० जमरानी बोंध, हल्द्वानी नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

5. स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) के अन्तर्गत जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हुए हैं। यदि सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित (यथा माता-पिता, सास-ससुर) छुपाया गया है तो संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।


27-8-26
(पी0एल0टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पृ0स0 / 3264-74/अ0स्था0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


27-8-26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 237 / अ०स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय झाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यापक/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनकम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-2 (मानसिक रूप से विकसित अथवा रोगग्रस्त बच्चे) स०अ०रा०उ०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	श्री भगवान सिंह बौरा, स०अ०	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० बिसगुली, बेतालघाट	रा०उ०प्रा०वि० जोग्यूडा, भीमताल, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।
5. स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) के अन्तर्गत जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हुए हैं। यदि सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित (यथा माता-पिता, सास-ससुर) छुपाया गया है तो संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

27.8.26

(पी०एल०टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०

नैनीताल

पृ०स० / 3275-85/अ०स्था०/2026-27 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा०शि० उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा०शि० कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


27-8-26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा०शि०
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 238 /अ०स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/.13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-5 (विधवा,विधुर,तलाकसुधा तथा वरिष्ठ कार्मिक) स०अ०रा०उ०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	निर्मला नेगी	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० बसगाँव, रामगढ़, नैनीताल।	रा०उ०प्रा०वि० मलुवाताल, भीमताल, नैनीताल।
2	समर सिंह	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० फगुनियाखेत, भीमताल, नैनीताल।	रा०उ०प्रा०वि० नरीपुर छोई, रामनगर, नैनीताल।
3	लक्ष्मण सिंह पडियार	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० मलुवाताल, भीमताल, नैनीताल।	रा०उ०प्रा०वि० खैराली बुंगा, बेतालघाट, नैनीताल।
4	दीवान चन्द्र	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० च्यूनी, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०उ०प्रा०वि० लेटी चोपड़ा, रामनगर, नैनीताल।
5	रश्मि लाहौरी	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० तुमडियाडाम द्वितीय, रामनगर, नैनीताल।	रा०उ०प्रा०वि० वीरपुरतारा, रामनगर, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


27-8-26
(पी0एल0टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पृ0स0 /3286-96/अ0स्था0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


27-8-26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 239 / अस्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला-स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) सहायक अध्यापक रा०उ०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	नीरजा बोरा	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० रैलाखत्ता, हल्द्वानी, हल्द्वानी	रा०उ०प्रा०वि० हरिपुरगॉंगू, हल्द्वानी, नैनीताल।
2	नीमा भट्ट	स०अ०	रा०उ०प्रा०वि० लोद मल्ला रामगढ, नैनीताल।	रा०उ०प्रा०वि० सूपी भगवानपुर, हल्द्वानी, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्मित होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।



5. स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) के अन्तर्गत जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हुए हैं। यदि सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित (यथा माता-पिता, सास-ससुर) छुपाया गया है तो संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।


27.8.26
(पी0एल0टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पृ0स0 /3297-3307/अ0स्था0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


27.8.26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 240 / अ०स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

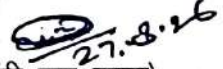
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जैनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-5 (विधवा,विधुर,तलाकसुदा एवं वरिष्ठ कार्मिक) प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	पूरन प्रकाश आर्य	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० सुनपतला, धारी नैनीताल।	रा०प्रा०वि० आलूखेत, भीमताल, नैनीताल।
2	भागीरथी वर्मा	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० कौल, धारी, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० विकासपुरी, हल्द्वानी, नैनीताल।
3	सुशीला जोशी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० साल, ओखलकाण्डा, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० तिवारीनगर हल्द्वानी, नैनीताल।
4	निर्मला तिवारी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० तेलीपुरा, रामनगर, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० चीड़खत्ता, हल्द्वानी, नैनीताल।
5	जगदीश चन्द्र	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० डोनपरेवा, कोटाबाग, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० आमडण्डा, रामनगर, नैनीताल।
6	महेश चन्द्र	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० तल्लीसेठी, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० सुन्दरखाल, रामनगर, नैनीताल।
7	हेमा देवी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० नथुवाखान, रामगढ़, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० पस्तोला, नवीन भीमताल, नैनीताल।
8	राजेश चन्द्र पाण्डे	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० सिलगड़ा, ओखलकाण्डा, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० डोलीखत्ता, हल्द्वानी, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


27.8.26
(पी0एल0टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पृ0स0 / 3308-18 / अ0स्था0 / 2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


27.8.26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 241 / अ०स्था० / 2026-27

दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-4 (कार्यरत पति-पत्नी) प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	अम्बिका चौधरी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० पाडली, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० गहलना, भीमताल, नैनीताल।
2	ज्योति जोशी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० पातली, कोटाबाग, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० बेलगढ़, रामनगर, नैनीताल।
3	नारायण सिंह सम्मल	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० खूनीगाड़, धारी नैनीताल।	रा०प्रा०वि० सिरौड़ी, भीमताल, नैनीताल।
4	नीमा सती	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० चकविसौद, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० निगलाट, बेतालघाट, नैनीताल।
5	रेखा जोशी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० रुपपुर, कोटाबाग, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० उदयपुरी भीमपुरी, कोटाबाग, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।

2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


21.8.26
(पी0एल0टम्ट)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पू0स0 / 3319-29 / अ0स्था0 / 2026-27 दिनांक उक्तवत्।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


21.8.26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 242

/अ०स्था०/2026-27

दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत प्रधानाध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) प्रधानाध्यापक रा०प्रा०वि०

क्र. सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1.	नीता जोशी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० मल्लीसार ओखलकाण्डा, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० पीपलपोखरा, हल्द्वानी, नैनीताल।
2.	लता कटियार	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० मल्लीसेठी, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० मंगलार, रामनगर, नैनीताल।
3.	गुड्डी अंसारी	प्र०अ०	रा०प्रा०वि० रियाडतल्ला, कोटाबाग, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० यशवंतनगर, रामनगर, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।



5. स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-1 (गम्भीर रोगग्रस्त) के अन्तर्गत जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं को विद्यालय आवंटित हुए हैं। यदि सम्बन्धित द्वारा किसी प्रकार का कोई तथ्य गम्भीर बीमारी से सम्बन्धित (यथा माता-पिता, सास-ससुर) छुपाया गया है तो संज्ञान में आने पर सम्बन्धित का स्थानान्तरण स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

 27-8-26
(पी0एल0ट्टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पृ0स0 / 3330-40/अ0स्था0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।

 27-8-26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 243 / अ०स्था० / 2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-5 (विधवा, विधुर, तलाकसुदा एवं वरिष्ठ कार्मिक) सहायक अध्यापक रा०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	सवितेश गुरुरानी	स०अ०	रा०प्रा०वि० नयागाँव लछमपुर, हल्द्वानी, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० इन्द्रानगर, हल्द्वानी, नैनीताल।
2	रश्मि रावत	स०अ०	रा०प्रा०वि० खूपी ज्यालिकोट, भीमताल, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० पिछलटाना, रामगढ़, नैनीताल।
3	रमा क्वीरा	स०अ०	रा०प्रा०वि० भौर्सा नवीन, भीमताल, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० देवरामपुर, हल्द्वानी, नैनीताल।
4	हेमा पाठक	स०अ०	रा०प्रा०वि० पड़किया खत्ता, कोटाबाग, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० चकलुवा, कोटाबाग, नैनीताल।
5	राजेन्द्र सिंह सामन्त	स०अ०	रा०प्रा०वि० थपलियागाँजा, भीमताल, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० रुपपुर, कोटाबाग, नैनीताल।
6	राधिका देवी आर्य	स०अ०	रा०प्रा०वि० खुनश्यारी, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० मोतीपुर छोई, रामनगर, नैनीताल।
7	रेनू भट्ट, स०अ०	स०अ०	रा०प्रा०वि० रामड़ी आनसिंह, हल्द्वानी, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० सावलदे पूर्व, रामनगर, नैनीताल।
8	ममता मुरारी, स०अ०	स०अ०	रा०प्रा०वि० चौरलेख, धारी, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० हाड़ाग्राम, हल्द्वानी, नैनीताल।
9	तनूजा, स०अ०	स०अ०	रा०प्रा०वि० पाडली, बेतालघाट, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० सागुड़ीगांव भीमताल, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


27.8.26
(पी0एल0टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पृ0स0 / 3341-51 / अ0स्था0 / 2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0 कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए, कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


27.8.26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

कार्यालय-जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

आदेश सं० / 244 / अ०स्था०/2026-27 दिनांक 27 अगस्त, 2026

कार्यालय ज्ञाप/अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 तथा शासनादेश संख्या-410893/XXIV-B-1/2026/13/(12)2011TC-1 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-01 दिनांक 07 जुलाई, 2026 एवं शासनादेश संख्या:400683/XXX(2)/2026/ई-26941 कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2 दिनांक 01 जून, 2026 के अनुपालन में महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड ननूरखेड़ा देहरादून के पत्रांक:- सेवा-2/1519-20/स्थानान्तरण/2026-27 दिनांक 10 जुलाई, 2026 द्वारा स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 17(1)(ख) के अन्तर्गत (एक) से (पांच) में वर्णित प्राविधानों व सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार जनपद स्तर पर जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा नामित अध्यक्ष/सदस्य एवं जिला स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की सहमति/संस्तुति के आधार पर विद्यालयी शिक्षा विभाग में राजकीय प्राथमिक विद्यालयों पर कार्यरत सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से स्तम्भ 5 में अंकित विद्यालयों में उसी वेतनक्रम में रिक्त पद के प्रति निम्नानुसार स्थानान्तरित किया जाता है।

स्थानान्तरण धारा 17(1)(ख)-4 (पति-पत्नी) सहायक अध्यापक रा०प्रा०वि०

क.सं.	अध्यापक/अध्यापिका का नाम श्री/श्रीमती/कु०	पदनाम	वर्तमान विद्यालय का नाम	स्थानान्तरित विद्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	खष्टी गोस्वामी	स०अ०	रा०प्रा०वि० करखोली, रामगढ़, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० प्रेमपुर लोश्जानी, हल्द्वानी
2	ज्योत्सना गुणवन्त	स०अ०	रा०प्रा०वि० उदुवां, भीमताल, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० इन्द्रानगर, हल्द्वानी, नैनीताल।
3	अजय सिंह खम्पा	स०अ०	रा०प्रा०वि० सूनी नवीन, ओखलकाण्डा, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० तिरछाखेत मल्ला, भीमताल, नैनीताल।
4	मीना बेलवाल	स०अ०	रा०प्रा०वि० झड़गाँव मल्ला, ओखलकाण्डा	रा०प्रा०वि० ओखलदूंगा, भीमताल, नैनीताल।
5	दीपिका पाण्डे	स०अ०	रा०प्रा०वि० देवराज कनियागैर, धारी	रा०प्रा०वि० फरसौली, भीमताल, नैनीताल।
6	बीना वर्मा	स०अ०	रा०प्रा०वि० सुनकिया, धारी, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० इन्द्रानगर, हल्द्वानी, नैनीताल।
7	पुष्पा कुन्जवाल	स०अ०	रा०प्रा०वि० मेवाड़ी गांजा, ओखलकाण्डा	रा०प्रा०वि० हरिपुर ठठोला, हल्द्वानी
8	दीपा पाण्डे	स०अ०	रा०प्रा०वि० बगड़, कोटाबाग, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० राजीव नगर, हल्द्वानी, नैनीताल।
9	आरती जोशी नैनवाल	स०अ०	रा०प्रा०वि० घौतिया, धारी, नैनीताल।	रा०प्रा०वि० परमा, हल्द्वानी, नैनीताल।
10	रमेश चन्द्र रौतेला	स०अ०	रा०प्रा०वि० खम्बारी मजरा खत्ता, कोटाबाग	रा०प्रा०वि० देवपुर दनाई, हल्द्वानी, नैनीताल।

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानुसार उक्त स्थानान्तरित सहायक अध्यापक/अध्यापिका के सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

1. स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिकाएँ एक सप्ताह के भीतर नियमानुसार कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे। सम्बन्धित को विद्यालय के प्रधानाध्याप/प्रधानाध्यापिका तत्काल प्रभाव से स्थानान्तरित कार्मिक को अवमुक्त करें, साथ ही एकल अध्यापक वाले विद्यालयों से स्थानान्तरित शिक्षकों को बिना प्रतिस्थानी आए कदापि कार्यमुक्त नहीं किया जायेगा।
2. स्थानान्तरित अध्यापक/अध्यापिकाओं को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग नव तैनाती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेंगे तथा अवमुक्त के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेंगे।
4. स्थानान्तरित आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


27.8.26
(पी0एल0टम्टा)

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल

पृ0स0 /3352-62/अ0स्था0/2026-27 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निदेशक, प्रा0शि0 उत्तराखण्ड देहरादून।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. मुख्य विकास अधिकारी, नैनीताल।
5. मण्डलीय अपर निदेशक प्रा0शि0कुमायूं मण्डल नैनीताल।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल।
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी नैनीताल।
8. सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के अनुसार सम्बन्धित शिक्षक एक सप्ताह के भीतर नवीन तैनाती विद्यालय में कार्यभार ग्रहण/ कार्यमुक्ति की कार्यवाही अपने स्तर से प्रारम्भ करते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराये।
9. सम्बन्धित सहायक अध्यापक को सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी के माध्यम से।
10. कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


27.8.26
जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
नैनीताल